ज्ञान तत्व 384
मंथन कमांक–112 ''धर्म और सम्प्रदाय''

कुछ स्वीकृत निष्कर्ष है:

1. दुनियां में जिस शब्द को अधिक प्रतिष्ठा मिलती है उस शब्द की नकल करके उसका वास्तविक अर्थ विकृत करने की परंपरा रही है। धर्म शब्द के साथ भी यही हुआ;
2. धर्म शब्द के अनेक अर्थ प्रचलित है। व्यक्ति के दुसरों के हित में किये जाने वाले निस्वार्थ कार्य को भी धर्म कहते है तो समाज को उचित मार्गदर्शन करने वाली प्रणाली भी धर्म कही जाती है;
3. धर्म के दस लक्षणों में ईश्वर अथवा कोई पूजा पद्धति शामिल नहीं है। धर्म गुण प्रधान जीवन पद्धति हैं तो सम्प्रदाय संख्या विस्तार प्रधान संगठन होता है;
4. हिन्दु विचार तर्क और श्रद्धा के समन्वय से आगे बढता है, ईसाई प्रेम, सेवा, करूणा, सहायता और सदभाव से और इस्लाम संगठन शक्ति से;
5. धर्म जीवन पद्धति है सम्प्रदाय संख्या विस्तार। धर्म में न्याय प्रधान होता है सम्प्रदाय में अपनत्व प्रधान। धर्म का चरित्र संस्थागत होता है सम्प्रदाय का संगठनात्मक;
6. धर्म कर्तव्य प्रधान होता है सम्प्रदाय अधिकार प्रधान, धर्म समाज व्यवस्था का सहयोगी होता है सम्प्रदाय समाज का सहभागी;
7. धर्म किसी विचार अथवा धर्मग्रन्थ को अतिंम सत्य नहीं मानता, देश काल परिस्थिति अनुसार संशोधन सम्भव है। सम्प्रदाय में संशोधन सम्भव नहीं है;
8. धर्म का न कोई प्रारम्भकर्ता होता है न कोई प्रारंभिक समय। धर्म शास्वत चलता है। सम्प्रदाय किसी व्यक्ति अथवा किसी धर्म ग्रन्थ द्वारा किसी खास समय से शुरू होता है;
9. धर्म व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता देता है, सम्प्रदाय ऐसी मान्यता नही देता। सम्प्रदाय व्यक्ति को अपनी संगठनात्मक सम्पत्ति मानता है;
10. धर्म में अनुशासन अनिवार्य नही है और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सम्प्रदाय में अनुशासन भी अनिवार्य है और वैचारिक स्वतंत्रता भी नहीं है;
11. धर्म समाज को सर्वोच्च मानता है और राज्य का मार्ग दर्शन करता है। सम्प्रदाय संगठन को सर्वोच्च मानता है और राज्य पर नियंत्रण करता है;
12. धर्म का मूल स्रोत दर्शन है तो सम्प्रदाय का संस्कृति। हिन्दु धर्म का अधिकांश आज भी दर्शन को महत्व देता है तो इस्लाम में दर्शन को महत्व देने वाले सूफी लगातार कमजोर किये जा रहे हैं। इसाइयत में लगभग बीच की स्थिति है;
13. धर्म में आस्था पर विज्ञान भारी होता है। परिस्थिति अनुसार आस्था में संशोधन संभव है। सम्प्रदाय में आस्था विज्ञान पर भारी होती है और आस्था में संशोधन संभव नही है;
14. धर्म के नाम पर पूरी दुनियां में सम्प्रदायों ने जितनी हिंसा और अत्याचार किये है उतना अपराधियों ने भी नहीं किये।

सम्प्रदाय का तो अर्थ कठिन नहीं किन्तु धर्म की व्याख्या बहुत कठिन है। धर्म के अनेक अर्थ हैं। धर्म के अर्थ परम्परागत भी होते हैं और शास्त्र सम्मत भी। धर्म का अर्थ व्यक्तिगत, पारिवारिक या राष्ट्र के लिये किये जाने वाले कर्तव्य से भी जुड सकता है तो सम्पूर्ण मानव समाज से भी। धर्म वर्ण आश्रम व्यवस्था के परिपालन से भी जुड सकता है। यही कारण है कि धर्म का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल पाता और सम्प्रदाय भी धर्म शब्द के साथ स्वयं को जोडने में सफल हो जाता है।

वर्तमान दुनियां में हम पिछले तीन हजार वर्षो की समीक्षा करे तो दो ही धर्म सनातन दिखते है एक आर्य सनातन हिन्दू जीवन पद्धति दूसरा पाश्चात्य व यहूदी जीवन पद्धति। हिन्दू जीवन पद्धति से कुछ संगठन निकलकर तेजी से बढे जो प्रारम्भ में संगठन रहे, जब उनका विस्तार कई वर्षो तक जारी रहा तब वे सम्प्रदाय कहे जाने लगे और ऐसे सम्प्रदाय जब कई हजार वर्षो तक विस्तार करते रहे तो उन्होंने अपने को धर्म कहना शुरू कर दिया। ऐसे सम्प्रदायों में ही जैन, बौद्ध अथवा सिख माने जाते है। इसी तरह की प्रकिया यहूदियों में भी दोहरायी गयी और कालांतर से उसी तरह ईसाई और इस्लाम नामक सम्प्रदाय धर्म के रूप में आगे आये। हिन्दू और यहूदी मान्यताएं अलग–अलग प्रवृत्तियों में समन्वय को महत्व देती थी और सम्प्रदाय समन्वय की जगह किसी एक दिशा को अधिक महत्व देने लगे। जैन और बौद्ध ने अहिंसा को अधिक महत्व दिया तो सिखों ने हिंसा को, उसी तरह ईसाईयों ने अंहिसा को अधिक महत्व दिया तो इस्लाम ने हिंसा को। इन विपरित

विचारधाराओं के वैचारिक टकराव ने हिन्दू और यहूदियों की धार्मिक समन्वय की नीतियों को गंभीर क्षति पहुॅचायी। गुण प्रधान धर्म कमजोर होता गया और संगठन प्रधान धर्म मजबूत होता रहा।

ऐसे ही कालखण्ड में एक नये धर्मविहीन संगठन का 'साम्यवाद' के नाम से उदय एवं प्रवेश हुआ। उसने वर्ग संघर्ष और ईर्ष्या, द्वेष को मुख्य आधार बनाकर बहुत तेजी से विस्तार किया। यद्यपि उतनी ही तेजी से साम्यवाद का पतन भी हुआ और वह संगठन से आगे बढकर धर्म का नाम ग्रहण नहीं कर सका। आज मजबूरी में साम्यवाद यहूदियों के इस्लाम और हिन्दुओं के गांधीवाद का सहारा लेकर अपना अस्तिव बचा रहा है।

पूरी दुनियां में धर्म और सम्प्रदाय इतने समानार्थी हो गये है कि दोनों के बीच अंतर करना ही कठिन हो गया है। गुण प्रधान धर्म संकट में है और संगठन प्रधान सम्प्रदाय समाज से लेकर राज्य व्यवस्था तक में धर्म के नाम पर स्थापित हो गया है। भारत की स्थिति तो और भी जटिल है। धर्म निरपेक्षता के नाम पर भारत में सम्प्रदायों ने हिन्दुत्व प्रधान धर्म व्यवस्था को ही संकट में डालना शुरू कर दिया है। यदि धर्म का अर्थ गुण प्रधान है तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती। किन्तु यदि धर्म का अर्थ साम्प्रदायिक संगठन से जुडा हो, पूजा पद्धति अथवा किसी संस्कृति को आधार मानता हो तो उस आधार पर राज्य व्यवस्था को पूरी तरह ही धर्मनिरपेक्ष होना चाहिये। धर्म के दोनों विपरीत अर्थ यह निष्कर्ष नही निकलने देते कि राज्य को धर्मप्रधान होना चाहिए अथवा धर्मनिरपेक्ष। यह टकराव लम्बे समय से जारी है और अब वास्तविक धर्म के समक्ष संकट के रूप में खडा है। साम्प्रदायिक समूह आपस में एक–दूसरे से हिंसा टकराव करते है और परिणाम स्वरूप बीच मे रहने वाले वास्तविक धार्मिक लोग उसका नुकसान उठाते है। परिणामस्वरूप गुण प्रधान धर्म कमजोर होता है और साम्प्रदायिकता मजबूत।

वर्तमान दुनियां में इस्लाम सर्वाधिक खतरनाक सम्प्रदाय के रूप में चिन्हित हो रहा है। सूफी सरीखे धार्मिक मान्यता वाले संत किनारे किये जा रहे हैं। इस्लाम की धार्मिक पांच प्रतिबद्धताओं की जगह विवादास्पद साम्प्रदायिक प्राथमिकताएं मजबूत हो रही हैं। हिन्दू धर्म वाले भी असमंजस के शिकार हैं कि वे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये संघ परिवार की बात मानकर संगठनात्मक साम्प्रदायिकता के मार्ग की ओर बढ जावें अथवा गुण प्रधान हिन्दुत्व के मार्ग पर चलते हुए संगठनात्मक इस्लाम से मुक्ति के प्रयत्न को मजबूत करें। जिस तरह संगठित इस्लाम की आशा की एकमात्र किरण चीन ने इनके खिलाफ अमानवीय कदम उठाये हैं तथा जिस तरह सारी दुनियां में संगठित इस्लाम के समक्ष धार्मिक मार्ग पर लौटने या समाप्त होने का स्पष्ट विकल्प दिखने लगा है उससे स्पष्ट दिखता है कि गुण प्रधान हिन्दुत्व को धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिये। वैसे भी हिन्दुओं के सामान्य जनजीवन में सहजीवन का धार्मिक पाठ इतने अन्दर तक प्रवाहित है कि उन्हें बदलना आसान नहीं। ऐसी स्थिति में हिन्दुओं को अपनी सनातन धर्म की विचार धारा को छोडकर साम्प्रदायिक होने की जल्दबाजी क्यों करनी चाहिये? अच्छा होगा कि हम साम्प्रदायिकता के विरूद्ध जारी विश्वव्यापी प्रयत्नों के साथ तालमेल करें।

फिर भी सतर्कता आवश्यक है। अब तक मानवता के नाम पर साम्प्रदायिकता के खतरनाक सांपों को दूध पिलाया गया उन्हें अब जहर देने की जरूरत है। जो साम्प्रदायिक तत्व किसी संकट के कारण विदेशों से भारत का रूख करते हैं वैसे धर्म विरोधियों से मानवता का व्यवहार कैसा? सरकारों को मजबूर किया जाये कि वे अब पुनः वैसी भूल न करें।

धर्म एक पवित्र शब्द है जिसे साम्प्रदायिकता ने कलंकित कर दिया है। साम्प्रदायिकता से मुक्ति भारत के प्रमुख लक्ष्य में से एक होना चाहिये। मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने जिस तरह धार्मिक हिन्दुत्व के समक्ष असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है उससे मुक्ति के किये भारत सरकार को तत्काल पहल करनी चाहिये।

1. सम्पूर्ण भारतीय संविधान से धर्म शब्द को निकालकर समान नागरिक संहिता लागू कर देना चाहिये। राज्य के समक्ष व्यक्ति एक इकाई हो। कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक न हो;
2. धर्म परिवर्तन कराने के प्रयत्नों को दण्डनीय अपराध घोषित किया जाये;
3. जो मुसलमान संगठनात्मक इस्लाम से हटकर धार्मिक इस्लाम की ओर बढें उन्हें सम्पूर्ण संरक्षण दिया जाना चाहिये;
4. विदेशों से चोरी छिपे आये लोगों को अमानवीय तरीके से भारत से बाहर करके दुनियां को स्पष्ट संदेश दिया जाये कि भारत मानवता के नाम पर अपने सहजीवन को खतरे में नहीं डाल सकता।

जो मित्र धैर्य छोडने की बात कर रहे है उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपना धर्म छोडने की गलती करने की अपेक्षा साम्प्रदायिक तत्वों को साम्प्रदायिकता छोडने के लिये मजबूर करने हेतु राज्य को प्रेरित करें। जिस तरह राहुल, ममता, अखिलेश ने हिन्दुत्व के पक्ष में यू टर्न लिया है उससे आशा की किरण मजबूत होती है कि धर्म की जडे पाताल तक हैं और रहेंगी।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1–धर्म के अतिरिक्त किसी और शब्द को भी विकृत किया गया है क्या?
उत्तर–धर्म की तरह ही समाज शब्द को भी विकृत किया गया समाज पूरी दुनियां का एक होता है किन्तु छोटे–छोटे जातीय समूहों ने भी स्वयं को समाज घोषित कर दिया। इसी तरह करम शब्द कर्म का अपभ्रंस है लेकिन करम गति टारे नाही टरे लिखकर उसे भाग्य के साथ जोड दिया गया। ऐसे और भी शब्द खोजे जा सकते है।

प्रश्न 2–धर्म के और कौन–कौन अर्थ प्रचलित है?
उत्तर–व्यक्तिगत कर्तव्य पारिवारिक दायित्व निर्वहन वर्ण आश्रम व्यवस्था का परिपालन आपातकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सामाजिक सहयोग आदि धार्मिक कार्य है। पूजा पाठ धर्म नहीं है बल्कि धर्म का सहायक है।

प्रश्न 3–धर्म के दस लक्षण कौन–कौन से है?
उत्तर– धृतिः क्षमा दम अस्तेयं शौच इन्द्रिय निग्रह धी, विद्या सत्य अक्रोध दस लक्षण धर्म के माने गये है

प्रश्न 4– क्या हिन्दुओं में नास्तिक भी हिन्दू माने जाते है?
उत्तर– हिन्दुओं में नास्तिक आस्तिक का कोई महत्व नहीं है चार्वाक नास्तिक होते हुये भी ऋषि माने गये हैं। कुछ लोग बौद्ध दर्शन को भी नास्तिक मानते है।

प्रश्न 5–क्या आप सेवा करना प्रेम को तर्क की तुलना में कम महत्वपूर्ण मानते है?
उत्तर–हिन्दुओं में बुद्धि और भावना का समन्वय होता है तर्क बुद्धि सहायक होता है और प्रेम सेवा करूणा भावना सहायक दोनों का महत्व है एक का नहीं। ईसाईयों और मुसलमानों में भावना प्रमुख होती है। इनमें भी मुसलमानों में अपनत्व भाव अधिक होता है तो ईसाईयों में कर्तव्य भाव।

प्रश्न 6–क्या हिन्दुत्व में संख्या विस्तार की चिंता नहीं है? क्या संख्या विस्तार का प्रयत्न करना गलत है?
उत्तर–प्राथमिकताएं परिस्थिति अनुसार बदलती है जिस तरह अन्य धर्मावालम्बी विशेष कर मुसलमान अपनी संख्या विस्तार को महत्व दे रहे है वैसे स्थिति में संख्या पर चिंता करना आवश्यक है। दुनियां में हिन्दू जीवन पद्धति अकेली ऐसी प्रणाली है जो किसी अन्य धर्मावालम्बी को अपने साथ जोड नही सकती। संख्या की छीना झपटी से हिन्दू दूर रहता है। यह हिन्दुओं के लिये गर्व का विषय है कोई भी अन्य धर्म इस मामले में हिन्दुओं से आंख नहीं मिला सकता । किन्तु इसका नुकसान भी है और फायदा भी। हिन्दुओं की संख्या घट रही है यह नुकसान है और सारी दुनियां में हिन्दुओं का सम्मान है यह लाभ है।

प्रश्न 7–घर वापसी के प्रयत्न को आप क्या मानते है?
उत्तर–जो लोग ऐसा मानते है कि विभिन्न सम्प्रदाय समझाने से नहीं मानेंगे और सरकार भी उन्हें नहीं रोक सकेगी। वे यदि घर वापसी जैसा कोई कोई कार्यक्रम चलाते है तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता। फिर भी मैं इस प्रयत्न को जल्दबाजी मानता हूँ अभी कुछ वर्ष और धैर्य रखना चाहिये । हिन्दुत्व को साम्प्रदायिक दिशा में ले जाना अभी उचित नहीं है। अभी संख्या के आधार पर भी हिन्दुत्व आपात स्थिति में नहीं आया है। अभी अस्तित्व का संकट नहीं है। जिस तरह भारत में विपक्ष का साम्प्रदायिकता से मोह भंग हो रहा है तथा लोग मंदिर मंदिर घूम रहे है उससे एक नई उम्मीद बन रही है।

प्रश्न 8–सम्प्रदाय समाज सहभागी होता है इसका आशय क्या है? क्या सहभागी होना गलत है?
उत्तर–सहयोगी और सहभागी में अंतर होता है। सहभागी समानता के आधार पर होता है और लाभ–हानि का बराबर का जिम्मेदार होता है जबकि सहयोगी किसी बडी ईकाई की मदद तक सीमित होता है। धर्म समाज को अपने से अधिक उपर मानता है तथा सहयोगी होता है सहभागी नहीं। किन्तु सम्प्रदाय स्वयं को समाज से उपर मानता है इसलिए वह अपने को सहभागी मानता है। धर्म समाज को मार्गदर्शन करता है हस्तक्षेप नहीं, सम्प्रदाय हस्तक्षेप करता है।

प्रश्न 9– क्या हिन्दू वेदों को अंतिम सत्य नहीं मानते है?

उत्तर– मेरे विचार से वेद भी सभी सत्य विद्यायों की पुस्तक माने जाते है अंतिम सत्य नहीं वेदों से हटकर भी यदि कोई मान्यता है तो उसे हिन्दुत्व विरोधी नही माना जाता।

प्रश्न 10–क्या हिन्दू धर्म की शुरूआत वेदों से नहीं हुई है? पहले हिन्दू धर्म आया अथवा वेद।
उत्तर–मैं लगभग तीन हजार वर्षो की चर्चा तक सीमित हूॅं। इसके पहले की कल्पना नहीं कर सकता कि क्या हुआ होगा?

प्रश्न 11–क्या हिन्दुओं में व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वंतत्रता है? ऐसा सुना जाता है कि हिन्दुओं में अछूत बनाकर रखने की भी प्रथा है।
उत्तर–हिन्दुओं में प्राचीन समय से ही व्यक्तिगत स्वंतत्रता को मान्यता दी गयी है। यदि कोई समाज के नियमों के विरूद्ध चलता था तब भी उसे सिर्फ बहिष्कृत किया जा सकता था दंडित नहीं। जब भारत गुलाम हुआ तब मुसलमानों ने समाज में दंडित करने की प्रथा शुरू की । यह प्रथा गलत थी जब अंग्रेज आये तब उन्होंने बहिष्कार की प्रथा भी रोक दी। इस तरह अव्यवस्था पैदा हुई। हिन्दुओं ने अछूत बनाकर रखने की प्रथा एक विकृति रही है उसे बदलने की आवश्यकता है । यह विकार कब से शुरू हुआ इसकी खोज करने की आवश्यकता है।

प्रश्न 12–हिन्दुओं में ऐसी स्वतंत्रता है जो मुसलमानों में नहीं है।
उत्तर–हिन्दुओं में कोई भी व्यक्ति कभी भी परिवार छोड सकता है किसी व्यक्ति को अनुशासन की बाध्यता नहीं है क्योंकि उसे संगठन से अलग होने की स्वतंत्रता है इस्लाम में ऐसा नहीं है।

प्रश्न 13–मार्गदर्शन और नियंत्रण में क्या अंतर है?
उत्तर–मार्गदर्शन में दूसरी ईकाई मानने न मानने के लिए स्वतंत्र है। मार्गदर्शन तो सिर्फ सलाह तक होता है। नियंत्रण में मानने की बाध्यता होती है। यही कारण है कि हिन्दू धर्म राज्य व्यवस्था में कभी हस्तक्षेप नहीं करता जबकि इस्लाम, सिख, बौद्ध तथा आंशिक रूप से ईसाई भी पूरा हस्तक्षेप रखते है।

प्रश्न 14–क्या हिन्दू धर्म संस्कृति को महत्व नहीं देता?
उत्तर– मेरे विचार से दर्शन और संस्कृति का समन्वय होना चाहिए हिन्दू मान्यता में ऐसा है। अन्य धर्मो में नहीं ।

प्रश्न 15–क्या सूफी मुसलमानों को आप धार्मिक मानते है?
उत्तर –मेरे विचार मे सूफी मुसलमान सिया सुन्नी की अपेक्षा अधिक धार्मिक है। जो मुसलमान तौहीद, रोजा, हज, नमाज, जकात को इस्लाम का महत्वपूर्ण अंग मानते है, वे धार्मिक होते है। जो मुसलमान तलाक, विवाह, रीति–रिवाज, मस्जिद, गौ हत्या आदि को अधिक महत्व देते है, वे संगठन प्रधान माने जाते है।

प्रश्न 16–इस्लाम और इसाइयत के बीच आपका क्या विचार है? ईसाईयों ने दुनियां में बहुत मार काट किये है उनके क्रुसेड विश्व प्रसिद्ध है।
उत्तर– यह सही है कि ईसाईयों ने भी बहुत मार काट की है। किन्तु ईसाईयों ने मुसलमानों के साथ टकराव किया जबकि मुसलमानों ने शांति प्रिय हिन्दुओं के साथ भी टकराव किये इसलिये ईसाईयों की अपेक्षा मुसलमानों को अधिक संगठन प्रिय माना जाता है। ईसाई मुसलमानों के अपेक्षा अधिक न्याय प्रिय और लोकतांत्रिक होते है। ईसाई हिन्दुओं की तरह ही व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को मानते है जबकि मुसलमान और साम्यवादी नहीं मानते।

प्रश्न 17–क्या हिन्दुओं की आस्था में परिवर्तन संभव है?
उत्तर–वर्तमान समय में तो हिन्दुओं में भी आस्था परिवर्तन सम्भव नहीं है। किन्तु मूल रूप से हिन्दुओं में यह सम्भव रहा है। वर्तमान समय में हिन्दुओं ने भी विचारों पर संस्कृति भारी पड रही है। इसे संतुलित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न 18–साम्प्रदायिक हिसा और राजनैतिक हिंसा में कौन आगे रहा?
उत्तर–यदि साम्यवाद को एक सम्प्रदाय मान लिया जाये तो साम्प्रदायिक हिंसा ही अधिक हुई है। यदि साम्यवाद को राजनीति के साथ जोडा जाये तो राजनैतिक हिंसा अधिक हुई है। हिंसा के मामले में साम्यवाद का इतिहास अधिक कलंकित रहा है।

प्रश्न 19–क्या आप यहूदी धर्म को भी हिन्दुओं के समान मान रहे है?

उत्तर– मुझे बहुत पुराना इतिहास तो नहीं पता कि कौन कब आया और किसकी क्या हालत थी किन्तु तीन चार हजार वर्षो का यदि आकलन करे तो दोनों को धर्म मानना चाहिये।

प्रश्न 20–क्या आप मानते है कि जैन, बौद्ध, सिख हिन्दुओं से अलग है।
उत्तर–जैन, बौद्ध और सिखों में अलग–अलग संगठन बना रखे है। इसलिये ऐसा भ्रम होता है।

प्रश्न 21–क्या आप सिखों को अधिक हिंसात्मक मानते है?
उत्तर –अभी तक जैन और बौद्ध ने संगठित होकर सरकार पर कोई विशेष दवाब नहीं बनाया है किन्तु सिख हमेशा ही संगठन के बल पर दवाब बनाते रहते है। आज भी वे वैसा ही प्रयास करते रहते है इसलिये ऐसा अनुमान होता है।

प्रश्न 22–जिस तरह यहूदियों में साम्प्रदायिक टकराव होता है उसी तरह क्या हिन्दुओं में भी होता रहा है?
उत्तर– प्राचीन समय में सुना जाता है कि शैव शाक्त, शक, हुण आदि में हिंसक टकराव होते थे। किन्तु जैन, बौ;द्ध, सिख आदि में ऐसे टकराव नहीं दिखे क्योंकि भारत में शास्त्रार्थ परम्परा रही है और यहूदियों में शस्त्रार्थ। शास्त्रार्थ और शस्त्रार्थ के परिणाम आप समझ सकते है। भारत में हिंसक टकराव भी मुसलमानों के साथ ही शुरू हुआ है।

प्रश्न 23–इसका समाधान क्या है?
उत्तर–या तो संघ के मार्ग पर चलकर सम्प्रदायों को संख्यात्मक चुनौती दी जाये अथवा सरकार के माध्यम से सम्प्रदाय को निरूत्साहित कराया जाये। मैं सरकार के माध्यम के पक्ष में हॅू। धर्म को गुण प्रधान ही होना चाहिये और संगठनों को धर्म से अलग रखना चाहिये।

प्रश्न 24–क्या आप धर्म निरपेक्षता के विरूद्ध है?
उत्तर–जिस तरह 70 वर्षो से धर्म निरपेक्षता शब्द का हिन्दुओं के विरूद्ध दुरूपयोग हुआ उससे तो ऐसी धारणा बनती है या तो धर्म को गुण प्रधान बनाया जाये या धर्म निरपेक्षता छोड दी जाये।

प्रश्न 25–क्या आप राज्य व्यवस्था से पूजा पद्धति और संस्कृति को अलग करना चाहते है?
उत्तर– मैं चाहता हॅू सुरक्षा और न्याय छोडकर बाकी सब काम राज्य छोड दे। पूजा पद्धति और संस्कृति सामाजिक विषय है राज्य के नहीं।

प्रश्न 26–क्या आप साम्प्रदयिक तत्वों से मानवता का व्यवहार भी उचित नहीं मानते?
उत्तर–यदि साम्प्रदायिक शक्तियॉ हमारे लिये अस्तित्व का संकट बन गयी है तो उन्हें भी सोचना होगा कि वे सहजीवन का व्यवहार पसंद करते है अथवा संगठन। यदि वे संगठन को महत्व देते है तो उनके साथ शत्रुवत व्यवहार ही उचित होगा।

प्रश्न 27–इस संबंध में भारत सरकार को क्या करना चाहिये।
उत्तर–धर्म एक पवित्र शब्द है जिसे साम्प्रदायिकता ने कलंकित कर दिया है। साम्प्रदायिकता से मुक्ति भारत के प्रमुख लक्ष्य में से एक होना चाहिये। मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने जिस तरह धार्मिक हिन्दुत्व के समक्ष असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है उससे मुक्ति के किये भारत सरकार को तत्काल पहल करनी चाहिये।

1. सम्पूर्ण भारतीय संविधान से धर्म शब्द को निकालकर समान नागरिक संहिता लागू कर देना चाहिये। राज्य के समक्ष व्यक्ति एक इकाई हो। कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक न हो;
2. धर्म परिवर्तन कराने के प्रयत्नों को दण्डनीय अपराध घोषित किया जाये;
3. जो मुसलमान संगठनात्मक इस्लाम से हटकर धार्मिक इस्लाम की ओर बढें उन्हें सम्पूर्ण संरक्षण दिया जाना चाहिये;
4. विदेशों से चोरी छिपे आये लोगों को अमानवीय तरीके से भारत से बाहर करके दुनियां को स्पष्ट संदेश दिया जाये कि भारत मानवता के नाम पर अपने सहजीवन को खतरे में नहीं डाल सकता।

प्रश्न 28–आपका बंग्लादेशी मुसलमानों के संबंध में क्या मत है?

उत्तर–चाहे कोई बंग्लादेशी हो या पाकिस्तानी अथवा रोहिग्या सबके साथ वहीं व्यवहार होना चाहिये जिससे भारत का सहजीवन खतरे में न पडे। यदि वे चोरी छिपे आये है तो उन्हें निकालना चाहिये भले ही उन्हें फिर कानून के अनुसार ले लिया जाये।

मंथन कमांक–113 ''पर्यावरण प्रदूषण''

कुछ स्वीकृत निष्कर्ष है:–

1. क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसका आशय है कि दुनियां का प्रत्येक जीव इन्हीं पांच तत्वों के सन्तुलन एवं सम्मिलन से बना है;
2. दुनियां का प्रत्येक व्यक्ति सुख की इच्छा करता है और सुख मिलता है निरन्तर भौतिक विकास और संतुष्टि के समन्वय से;
3. वर्तमान समय में पूरी दुनियां में पर्यावरण का संतुलन बिगड रहा है। मानव शरीर के पांचों मूल तत्व विकृत होते जा रहे है। इसका दुष्प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य से लेकर उसके स्वभाव पर भी स्पष्ट दिखता है।
4. जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी अर्थात सभी पांचो मूल तत्व बहुत तेजी से विकृत हो रहे है। इसका प्रभाव संपूर्ण मानव एवं जीव जन्तु पर पड रहा है किन्तु भारत पर इसका प्रभाव और भी ज्यादा है;
5. आकाश में खतरा ओजोन गैस का है। अग्नि को खतरा विनाशक हथियारों तथा बारूद का है। जल, पृथ्वी और वायु निरंतर प्रदूषित हो रहे है। प्लास्टिक का बढता उपयोग भी पृथ्वी के लिये समस्या बनता जा रहा है।
6. पर्यावरण ताप वृद्धि बहुत बडी समस्या है और इस संबंध में निरन्तर चिंता भी हो रही है। किन्तु उससे भी ज्यादा खतरनाक समस्या है मानव स्वभाव ताप वृद्धि। दुर्भाग्य से इस खतरनाक समस्या पर पूरी दुनियां में कोई चिंता नहीं हो रही है;
7. मानव स्वभाव ताप वृद्धि तथा मानव स्वभाव स्वार्थ वृद्धि दुनियां की सबसे अधिक गंभीर समस्याएं है। किन्तु इस खतरे की गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है।
8. भारत में पर्यावरण और मानवाधिकार के नाम पर बने हुये पेशेवर संगठन पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुॅचा रहे है। ये संगठन विदेशों से धन लेकर भारत की सामाजिक, राजनैतिक व्यवस्था को असंतुलित करते है;
9. पर्यावरण के नाम पर काम कर रहे पेशेवर संगठन अपनी दुकानदारी चलाने के लिये समाज में जागरूकता के नाम पर भय पैदा करने का काम करते है;
10. कोई संगठन ओजोन गैस के नाम पर डर दिखाता है तो कोई दूसरा हिमयुग अथवा तापवृद्धि का। जबकि सामान्य जन जीवन पर इसका न कोई प्रभाव पडता है, न ही समाधान में भूमिका होती है।

यह निर्विवाद सत्य है कि पर्यावरण बहुत तेजी से बिगड रहा है। सारी दुनियां के साथ–साथ भारत की गति और भी अधिक तेज है। प्राचीन समय में आबादी बहुत कम थी। लोग अशिक्षित, अविकसित और गरीब थे।
समाज में कई कुरीतियॉ थी किन्तु पर्यावरण के प्रति सजग थे। सामाजिक व्यवस्था में पानी को गंदा करना अनैतिक माना जाता था। वृक्षारोपण को बहुत महत्व दिया जाता था और पेडों तक की पूजा होती थी। वायु शुद्धि के लिये भी यज्ञ आदि करके एक भावनात्मक वातावरण विकसित किया जाता था। धीरे–धीरे हम विकास की दौड में आगे बढे किन्तु भौतिक विकास की गति बहुत तेज रही और नैतिक पतन बढता चला गया। विकास और नैतिकता का संतुलन बिगड गया। पर्यावरण के प्रति जो भावनात्मक श्रद्धा थी उसे अंधविश्वास के नाम पर समाप्त कर दिया गया। पेशेवर लोग पर्यावरणवादी बनकर सामाजिक वातावरण को और अधिक नुकसान पहुॅचाते रहे। ये विदेशी दलाल विदेशों से धन या बडे–बडे सम्मान लेकर भारत के वातावरण को बिगाडते रहे। जो व्यक्ति पूरे जीवन में कभी एक भी पेड नहीं लगाया है वह भारत के पर्यावरण संरक्षकों में शामिल हो जाता है समाज में जागरूकता की जगह भय पैदा किया जाता है। कोई कहता है कि वातावरण इतना गरम हो जायेगा कि बर्फ पिघल जायेगी और नदियों में बाढ आ जायेगी तो दूसरा पर्यावरणवादी यह भी कहता है कि जल संकट आने वाला है और पानी की इतनी कमी हो जायेगी कि पानी के लिये मार–काट हो जायेगी। इस तरह की ऊल–जलूल बातें 60–70 वर्ष पूर्व भी सुनाई देती थी और आज भी सुनाई देती है लेकिन इन पेशेवर लोगों का धंधा निरन्तर बढता जा रहा है।

वर्तमान समय में भारत की आबादी तेज गति से बढी। उचित होता कि पर्यावरण संरक्षण के लिये कुछ विशेष व्यवस्था की जाती किन्तु हुआ इसके ठीक विपरीत। पर्यावरण संरक्षण की प्राचीन व्यवस्था को अंधविश्वास के नाम पर छोड दिया गया। अब कोई गंगा नदी में तांबे का पैसा डाल दे तो अंध विश्वास कहा जायेगा। फलदार वृक्षों की पूजा भी अंध विश्वास। यज्ञ

करना अंध विश्वास। पानी में गंदगी डालना पाप मानना अंधविश्वास। पर्यावरण संरक्षण विकास की दौड की भेंट चढ गया। सारी दुनियां तेज विकास के लिये पर्यावरण का शोषण कर रही है इसलिये भारत भी पीछे क्यों रहे, इसे आवश्यकता मान लिया गया। पर्यावरण सुरक्षा समाज शास्त्र का विषय न रहकर पेशेवर पर्यावरण वादियों मानवाधिकार वादियों का व्यवसाय बन गया।

परिणाम हुआ कि भारत में भी पंचतत्व बहुत तेज गति से प्रदूषित हुये। सबसे ज्यादा प्रदूषित हुई वायु। पेड कटे और वायु में डीजल पेट्रोल का प्रदूषण तेजी से बढा। भारत की आबादी सत्तर वर्षो में चार गुना बढी किन्तु डीजल पेट्रोल की खपत चालीस गुनी बढ गई। मनुष्य और पशु बेरोजगार बेकार घूम रहे हैं। सौर उर्जा के मामले में भारत सौभाग्य शाली है किन्तु बिजली के बिना कोई छोटा सा काम भी संभव नहीं और बिजली बनेगी कोयले से भले ही प्रदूषण कितना भी क्यों न हों। भारत का जल भी जहरीला बन गया। सारी मानवीय से लेकर औद्योगिक तक गंदगी नदियों में डालकर अब उस पानी को साफ करके उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पृथ्वी तत्व भी लगातार प्रदूषित हो रहा है। रासायनिक खाद से लेकर प्लास्टिक तक को सस्ता किया जा रहा है। कृषि उत्पादन, वन उत्पादन पर टैक्स लगाकर रासायनिक खाद या प्लास्टिक का महत्व बढाया जा रहा है। अग्नि तथा आकाश के प्रदूषण में भारत की गति शेष दुनियां से कुछ कम है। सारी दुनियां जिस तरह रासायनिक हथियार तथा ओजोन परत को नुकसान कर रही है उस मामले में भारत अभी बहुत पीछे अवश्य है किन्तु प्रयत्नशील तो है ही।

एक तरफ पूरे भारत में तेज गति से भौतिक विकास की आवाज उठाई जा रही है तो दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषण के कारण भौतिक विकास में बाधाएं भी पैदा करने का प्रयत्न निरन्तर जारी है। भौतिक विकास की मांग करने वाले और विरोध करने वाले अपने रोजी–रोटी की व्यवस्था कर लेते है और शेष भारत उन धूर्तो से ठगा जाता है। एक धूर्त कहता है सबको जमीन दो तो दूसरा कहता है अधिक से अधिक पेड लगाओं, तीसरा कहता है खेती का रकबा बढाओं और चौथा कहता है गांव–गांव में कुएं और तालाब बने और सिंचाई के साधन हो। एक तरफ आबादी बढने के कारण जमीन की कमी हो रही है तो दूसरी ओर मुसलमानों को मरने के बाद भी जमीन पर कब्जा चाहिये। मैं नही समझता कि ये सभी बैठकर एक साथ तय क्यों नहीं कर लेते कि जमीन का बंटवारा किस तरह हो। जब जमीन बढाई नही जा सकती यह सभी जानते है तो मिल बैठकर निर्णय करने अथवा सुझाव देने के अपेक्षा मांग करने का औचित्य क्या है? एक सामाजिक शुभचिंतक भारत को अधिक से अधिक शक्ति सम्पन्न बनने की मांग करता है तो दूसरा वैसा ही शुभचिंतक भारत को हिंसक शस्त्रों से दूर रहने की बात भी करता है ऐसे विपरित विचारों के लोग पर्यावरण के लिये सबसे बडी समस्या है।

सब मानते है कि यदि आबादी बढेगी तो पर्यावरण प्रदूषण बढेगा। यदि भौतिक विकास तेज होगा तब भी पर्यावरण प्रदूषण बढेगा लेकिन इनके संतुलन की किसी कोशिश को महत्व नहीं दिया जा रहा है। आबादी वृद्धि की बात छोड दीजिए। आबादी का घनत्व भी शहरों की ओर बढाकर लगातार असंतुलित किया जा रहा है किन्तु इस विषय पर आज तक भारत में कोई समाधान नहीं खोजा गया।

भारत में चार प्रकार की समस्याएं है। 1. व्यक्तिगत 2. सामाजिक 3. आर्थिक और 4. राजनैतिक। व्यक्तिगत समस्याओं का एक मात्र समाधान अपराध नियंत्रण की गारंटी से है, जो राज्य को देना चाहिए। सामाजिक समस्याओं का एक मात्र समाधान समान नागरिक संहिता है। इसी तरह राजनैतिक समस्याओं का एक मात्र समाधान लोक स्वराज्य प्रणाली से है। हम वर्तमान समय में पर्यावरण की समस्याओं की चिंता कर रहे है और पर्यावरण में समस्याओं की वृद्धि का मुख्य कारण तीव्र भौतिक विकास है।

इसका समाधान आर्थिक ही हो सकता है और भारत की सभी आर्थिक समस्याओं का एक–मात्र समाधान है, कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि। आश्चर्य व दुख होता है कि जब भी कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि की बात आती है तब सभी पेशेवर, पर्यावरणवादी, मानवाधिकारवादी और अन्य एक जुट होकर इस मांग का विरोध करते है। यदि कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि हो गयी तो भौतिक विकास की गति भी अपने आप बढ जायेगी और पर्यावरण भी अपने आप ठीक हो जायेगा। शहरी आबादी कम हो जायेगी वातावरण में जहर नहीं घुलेगा। पानी अशुद्ध नहीं होगा लेकिन पेशेवर पर्यावरणवादियों की दुकानदारी बंद हो जायेगी क्योंकि उन्हें गांव में जाकर पेड़ लगाने पड़ेंगे। खेती करनी पड़ेगी अथवा कोई अन्य व्यवसाय करना पड़ जायेगा।

यदि किसी परिवार में पारिवारिक वातावरण प्रदूषित है और वह परिवार चिन्ता नहीं कर रहा है तो उसकी चिंता पूरे समाज को क्यों करनी चाहिए। जब तक वह समस्या गांव की न हो तब तक गांव को चिंता नहीं करनी चाहिए। यहॉ तो स्थिति यह हो गई है कि जो काम नगरपालिका और नगर निगम को करना चाहिए वह काम भी सुप्रीम कोर्ट करने लगा है। किसी शहर में किसी मकान की उंचाई कितनी हो यह उसी शहर पर क्यो न छोड दिया जाये? क्यों उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप

करे? ऐसे मामलों में हस्तक्षेप से असंतुलन पैदा होता है। किसी नदी का पानी गंदा है तो उस गंदगी की चिंता उस नदी का पानी उपयोंग करने वाले मिलकर बैठकर करे और या तो साफ करने की व्यवस्था करे या गंदा करने वालो पर रोक लगावे। यह चिंता करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। पेशेवर पर्यावरण वादी ऐसे मामलों में न्यायालय को घसीटते है और न्यायालय को भी अपना आवश्यक काम छोडकर ऐसा करने में आनंद आता है।

मैं मानता हूॅ कि आकाश, जल, अग्नि पृथ्वी और हवा का प्रदूषित होना एक बहुत बढी समस्या है। इसका मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पडेगा। किन्तु मैं यह भी समझता हूॅ कि इस प्राकृतिक संकट की तुलना में मानव स्वभाव में ताप और स्वार्थ वृद्धि कई गुना बडी समस्या है। मानव स्वभाव तापवृद्धि इस प्रकार के पर्यावरणीय संकट में भी एक बडी भूमिका निभाती है। मानव स्वभाव तापवृद्धि हथियारों के संग्रह का भी एक प्रमुख कारण है। दुर्भाग्य से जितनी चर्चा ओजोन परत, बढते तापमान, वायु और जल प्रदूषण की हो रही है उसका एक छोटा सा हिस्सा भी मानव स्वभाव मे बढते आक्रोश ओर स्वार्थ के समाधान के लिये नहीं हो रहा। दिल्ली में वायु प्रदूषण रूके इसके लिये सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक यह चिंता नहीं की कि दिल्ली के लोगो में इतनी तेजी से हिंसा और स्वार्थ के प्रति आकर्षण क्यों बढ रहा है। क्यों दिल्ली की आबादी इतनी तेजी से बढ रही है और क्यों इतनी प्रदूषित वायु होते हुये भी भारत के लोग भाग–भाग कर दिल्ली आ रहे है। हमारे पर्यावरण की चिंता करने वाले सारे भारत को पानी बचाओं बिजली बचाओं का संदेश देते है तो दिल्ली का वायु प्रदुषण दूर करने के लिये सडकों और पेडों पर जल छिडकाव की व्यवस्था की जाती है। क्यों ऐसा प्रदूषित वातावरण बन गया है कि जहॉ शुद्ध हवा है वहॉ से भागकर लोग गंदी जगह में आ रहे है और उस गंदी हवा को साफ करने के लिय मुख्य सकडों के बीचोबीच पेड लगाने का नाटक कर रहे है। पर्यावरण प्रदूषण के लिये इतना नाटक ओर ढोंग करने की अपेक्षा क्यों नहीं कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि कर दी जाये कि शहरों की आबादी अपने आप कम हो जायेगी और न रहेगा बॉस न बजेगी बांसुरी।

मैं तो इस मत का हूॅं कि भारत की पर्यावरण संबंधी सभी समस्याओं के समाधान में कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। पर्यावरण का बढता प्रदूषण मानव अस्तित्व के लिये एक गंभीर संकट है। इसके समाधान के चौतरफा प्रयास करने होंगे। विकास की प्रतिस्पर्धा और संतुष्टि के बीच तथा भावना और बुद्धि के बीच समन्वय करना होगा। पर्यावरण को प्रदूषित करके उसे साफ करने की अपेक्षा प्रदूषण बढाने वालों के प्रयत्नों को निरूत्साहित करना होगा। पर्यावरण प्रदूषण कम करने का सारा दायित्व सरकारों पर न छोडकर उसमें जन जन से लेकर स्थानीय संख्याओं की सहभागिता जोडनी होगी। शहरी आबादी वृद्धि एक बडी समस्या है। उसका समाधान करना ही होगा। प्लास्टिक तथा कृत्रिम उर्जा की इस सीमा तक मूल्य वृद्धि करनी होगी कि इनका उपयोग निरूत्साहित हो। पेशेवर पर्यावरणवादियों को सिर्फ रोजगार से हटकर प्रदूषण कम करने की दिशा में वास्तविक सक्रियता की दिशा में प्रेरित करना होगा।

पर्यावरण प्रदूषण कोई प्राकृतिक समस्या न होकर मानवीय समस्या है। छोटे–छोटे व्यावहारिक बदलाव इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1–क्या आप मानते हैं कि मानव शरीर इन्हीं पांच तत्वों के मेल से बना है और उसमें अन्य तत्वों का कोई मिश्रण नहीं है।
उत्तर–मैं ऐसा नहीं मानता। अन्य अनेक तत्व भी सूक्ष्म रूप से हो सकते हैं किन्तु मुख्य तत्व तो यही पांच है।

प्रश्न 2–भौतिक विकास और संतुष्टि के समन्वय से आपका आशय क्या है? विस्तार से बताइये।
उ–भौतिक विकास के लिये प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। इससे हमेशा ही असंतोष बना रहता है क्योंकि असंतोष ही प्रयत्न के लिये प्रेरित करता है। लेकिन विकास से सिर्फ तात्कालिक सुख मिलता है दीर्घकालिक नहीं। संतुष्टि दीर्घकालिक सुख देती है किन्तु प्रयत्न में बाधक होने से विकास रूकता है। इसलिये दोनों में संतुलन होना चाहिये।

प्रश्न 3–पर्यावरण बिगडने का मानव स्वभाव पर कैसे खराब प्रभाव पडता है।
उत्तर–कोई प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं पडता किन्तु मनुष्य का स्वभाव चिडचिडा हो सकता है तथा बीमारी भी फैल सकती है।

प्रश्न 4–भारत पर विशेष प्रभाव किस तरह है।

उत्तर–भारत दुनियां के विकसित देशों की तुलना में तकनीक के मामले में अब भी बहुत पीछे है। इस कारण भारत प्रदूषण को जल्दी कम नहीं कर पाता। भारत की आबादी का घनत्व भी अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा होने से अधिक प्रभाव पडता है।

प्रश्न 5– ओजोन गैस तथा विनाशक हथियार के लिये भारत दोषी कैसे? भारत इसमें क्या कर सकता है?
उत्तर–भारत दोषी नहीं क्योंकि अन्य देशों की तुलना में भारत की भूमिका बहुत कम है किन्तु भारत को इस मामले में दुनियां के साथ तालमेल करना चाहिये। भारत ऐसा कर भी रहा है।

प्रश्न 6– मानव स्वभाव ताप वृद्धि को रोकने का क्या उपाय है?
उत्तर–इस संबंध मे अलग से विचार करना चाहिये। यह एक बहुत गंभीर समस्या है जो भारत सहित पूरी दुनियां के लिये खतरनाक रूप ले रही है।

प्रश्न 7– यह सच है कि मानव स्वभाव ताप वृद्धि तथा स्वार्थ वृद्धि को दुनियां कोई खतरा नहीं समझ रही किन्तु इसमें भारत क्या कर सकता है।
उत्तर– भारत इस संबंध में भारत से शुरूआत करे कि ये दोनों समस्याएं नियंत्रित हों। इसके किये भारत को सुरक्षा और न्याय की गांरटी देनी होगी। इस गारंटी के कारण मानव स्वभाव ताप वृद्धि पर रोक लगेगी। साथ ही भारत को भौतिक विकास को ही प्रगति का एकमात्र मापदंड न मानकर श्रम बुद्धि और धन के बीच संतुलन बनाना चाहिये। कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि इसका सबसे अच्छा समाधान है।

प्रश्न 8–पर्यावरण वादी किस तरह असंतुलन करते है।
उत्तर– पर्यावरण वादी समाज में जागरूकता न फैलाकर भय पैदा करते हैं। ये लोग सामाजिक संस्था का बोर्ड लगाकर अपनी दुकानदारी करते हैं तथा प्रायः विदेशों का हित चिंतन करते हैं। ये लोग कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि के विरोध में सक्रिय रहते हैं जिससे श्रम मूल्य न बढे और इन्हें हमेशा आंदोलन करने की परिस्थितियां मिलती रहें। ये लोग बिजली उत्पादन के प्रयत्नों में हमेशा अडंगा लगाते हैं किन्तु कभी डीजल, पेट्रोल की खपत घटाने के लिये कोशिश नहीं करते। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी के नाम पर अमीर शहरी बुद्धिजीवियों की अप्रत्यक्ष सहायता करने के लिये ही ये लोग कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि का विरोध करते रहते हैं।

1. पर्यावरण के नाम पर काम कर रहे पेशेवर संगठन अपनी दुकानदारी चलाने के लिये समाज में जागरूकता के नाम पर भय पैदा करने का काम करते है;
2. कोई संगठन ओजोन गैस के नाम पर डर दिखाता है तो कोई दूसरा हिमयुग अथवा तापवृद्धि का। जबकि सामान्य जन जीवन पर इसका न कोई प्रभाव पडता है, न ही समाधान में भूमिका होती है।

प्रश्न 9–क्या ओजोन गैस, तापवृद्धि, जल संकट का कोई खतरा नहीं दिखता।
उत्तर–ये विश्व व्यापी संकट हैं। इनके लिये भारत सरकार तथा हमारे वैज्ञानिक दुनियां के साथ तालमेल करेंगे। इनसे सामान्य जनता का कोई संबंध नहीं। सौ साल में कोयला खतम हो जायेगा या पानी नहीं रहेगा ये सब उच्च स्तरीय चर्चा के विषय हैं सामान्य जनता में इनका प्रचार भयादोहन मात्र है।

प्रश्न 10–पर्यावरण वादी ऐसी दुहरी बात क्यों करते है।
उत्तर–यही उनकी रोजी रोटी का माध्यम है।

प्रश्न 11–कृत्रिम उर्जा की खपत चालीस गुनी से भी अधिक हुई यह सच है किन्तु इससे सुविधाएं भी तो बढी।
उत्तर–सुविधाएं बढी यह सच है किन्तु इससे पर्यावरण प्रदूषण भी तो बढा। सुविधाओं का अधिक लाभ बडे लोगों को मिला और पर्यावरण की तकलीफ छोटे लोग झेल रहे हैं।

प्रश्न 12– क्या इससे भारत के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।
उत्तर– नहीं पडेगा क्योंकि भारत में उत्पादन बहुत तेज गति से बढेगा। हम निर्यात अधिक कर सकेगे। सौर उर्जा का उपयोग बढेगा।
शहरी आबादी घटेगी। डीजल, पेट्रोल का आयात बंद हो जायेगा। पर्यावरण प्रदूषण घट जायेगा।

प्रश्न 13– कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि से देश का उत्पादन कैसे बढेगा?

उत्तर–उत्पादन बढता है उर्जा से जब कृत्रिम उर्जा के साथ–साथ मानवीय और पशु उर्जा भी उत्पादन में लग जायेगी तब उत्पादन बढेगा
ही। कृत्रिम उर्जा मंहगी होने से जो सरकार को जो धन प्राप्त होगा उस आधार पर हम निर्यात बढा सकते है।

1 विचारः उम्मीदवारों की बढती संख्या से उपजती समस्याएं– अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार

लेख–इस समय पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उनमें उम्मीदवारों की तादाद देखकर दिमाग चकरा जाता है। केवल राजस्थान में ही 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 3,293 उम्मीदवार मैदान में है। यहां 2013 में 2,296 उम्मीदवार मैदान में थे। छत्तीसगढ जैसे छोटे राज्य के 90 विधानसभा सीटों के लिए 1,269 उम्मीदवार मैदान में थे। 2013 में 986 उम्मीदवार थे। मध्य प्रदेश में 2,883 उम्मीदवार हैं, जिनमें 1,094 स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। 2013 में वहां 2,583 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 2,080 लोगों की तो जमानत जब्त हो गई थी। यह केवल विधानसभाओं की स्थिति नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी यही होता है। 2014 के आम चुनाव में 8,251 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 7,000 की जमानत जब्त हो गई।

चुनाव–दर–चुनाव हम यही देख रहे हैं। इसका परिणाम होता है कि जीतने वाले उम्मीदवारों में 50 प्रतिशत से ज्यादा मत पाने वालों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से तेलुगूदेशम ने 15 सीटें जीतीं। यानी 60 प्रतिशत सीटें उसके खाते में आई, पर उसे वोट मिले केवल 29.10 प्रतिशत। दूसरी तरफ, वाईएसआर कांग्रेस को केवल आठ सीटें मिलीं, पर उसे वोट मिल गए 28.90 प्रतिशत। ऐसा क्यों हुआ? उम्मीदवारों की संख्या के कारण वोट बंट गए। बिहार में भाजपा ने 40 में से 22 सीटें जीतीं, पर उसे वोट मिले सिर्फ 29.4 प्रतिशत। इसके विपरीत केवल चार सीटें पाने वाली राजदं को 20.10 प्रतिशत मत मिले, वहीं सिर्फ 6.40 प्रतिशत मत पाकर लोक जनशक्ति पार्टी ने छह सीटें जीत लीं। ये चुनाव व्यवस्था की विसंगतियां हैं, जिनका बडा कारण उम्मीदवारों की संख्या है।

संसदीय लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति चुनाव लडने का अधिकार रखता है। अदना व्यक्ति भी यहां सूरमाओं को चुनौती दे सकता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष चिंताजनक है। सकारात्मक सोच, जन–कल्याणकारी विचारों और समाज व देश के लिए कुछ बेहतर करने की ईमानदार इच्छा से चुनाव मैदान में कूदने वालों की संख्या न के बराबर होती है। ज्यादातर जिन कारणों से चुनाव में उतरते हैं, वह परेशान करने वाला है। कोई इसलिए मैदान में है कि उसे लोग जान जाएं। कहा जाता है कि कुछ तो धन ऐंठने और अंत में किसी के समर्थन का एलान करने के लिए खडे होते हैं। बडी पार्टी के उम्मीदवार भी डमी उम्मीदवार उतार देते हैं, ताकि उसके संसाधनों का उपयोग किया जा सके। किसी बडे उम्मीदवार के मुकाबले उसी नाम के किसी उम्मीदवार को खडा कर दिया जाता है, ताकि मतदाताओं को भ्रम में डाला जा सके। वोटकटवा उम्मीदवारी का तो पूरा गणित ही है।

इससे चुनाव आयोग की भी चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ जाती हैं। जब तक मतदान नहीं हों जाता उम्मीदवारों की सुरक्षा आयोग की जिम्मेदारी हो जाती है। उसके अनुसार ईवीएम में व्यवस्था करनी पडती है। ईवीएम का आकार नहीं बढा सकते, तो उनकी संख्या बढानी पडती है। मतगणना के लिए काउंटिंग एजेंट से लेकर उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी होती हैं। कम पढे–लिखे या वृद्ध मतदाताओं के लिए लंबी सूची से अपने पसंदीदा उम्मीदवार की तलाश कठिन हो जाती है। चुनाव आयोग ने जमानत राशि में वृद्धि की, प्रस्तावकों की संख्या बढाई, पर इससे ज्यादा अंतर नहीं आया। वैसे भी जमानत राशि बढना उम्मीदवारी को केवल पैसे वालों के लिए आरक्षित कर देने जैसा है। चुनाव आयोग ने दो वर्ष पहले कुल 1,900 पंजीकृत दलों की बात की थी। समस्या अगंभीर उम्मीदवारों की ही नहीं अगंभीर दलों की भी है। अगर वे आंतरिक चुनाव की औपचारिकताएं पूरी करते हैं, अपना आयकर रिटर्न भरते हैं, तो उनका पंजीकरण रद्द नहीं किया जा सकता। उम्मीदवारों की बढती संख्या चिंता का विषय अवश्य है, लेकिन इसे कम करना आसान नहीं है। आलोकतांत्रिक तरीके से किसी को उम्मीदवार बनने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन इस समस्या का समाधान तो खोजना ही होगा।

समीक्षा– अवधेश जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने उम्मीदवारों की बढती संख्या को एक बड़ी समस्या बताया किन्तु इसका समाधान न बताकर उसे किनारे कर दिया। इसके ठीक विपरीत उन्होंने वास्तविक समाधान अर्थात जमानत राशि के बढने को अनुचित भी लिख दिया। मैं नही समझा कि इस समस्या से तो भारत का हर आदमी वाकिफ है, उसे तो समाधान चाहिए। किन्तु प्रस्तुत लेख समाधान की जगह समस्या तक सीमित रह गया।

भारत में चुनावों के दो पक्ष है। 1. सैद्धांतिक पक्ष और 2. व्यावहारिक पक्ष। चुनाव का सैद्धांतिक यह होता है कि चुनाव व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को चुनाव लडने का अधिकार नहीं होता। कोई भी उम्मीदवार स्वयं न तो उम्मीदवार बन सकता है न ही चुनाव लड़ सकता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से सत्ता जनता की अमानत होती है, सत्ताधीशों का अधिकार नहीं। चुनावों में जनता के कुछ लोग प्रस्ताव करते है और उम्मीदवार उस प्रस्ताव से सहमति मात्र करता है न कि अपनी उम्मीदवारी व्यक्त करता है। फार्म भर देने के बाद भी यदि प्रस्तावक अपना प्रस्ताव वापस ले लें तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी समाप्त हो जाती है इसलिए चुनाव कभी भी उम्मीदवार नहीं लडता बल्कि उसे जनता लडाती है। जब उम्मीदवार चुनाव लडता ही नही तो सैद्धांतिक रूप से धन का कोई महत्व नहीं प्रकट होता। व्यावहारिक धरातल पर सत्ता को अमानत न समझ कर अधिकार समझा जाने लगा। उम्मीदवारों ने चुनाव लडना व्यक्तिगत अधिकार मान लिया और जीतने हारने को अपनी प्रतिष्ठा से जोड लिया जो धीरे–धीरे उसके व्यवसाय के रूप में बदल गयी। यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इस व्यवसाय के प्रति आकर्षित होते गये और चुनाव लडने लगे। इस समस्या का वर्तमान समय में एक मात्र समाधान है कि चुनाव की जमानत राशि कई गुना बढा दी जाये जिससे गंभीर लोग ही चुनाव लड़ सके और चुनाव को मजाक समझने वाले इससे बाहर हो जायें। पहले चुनाव में जमानत राशि पांच सौ रूपये थी। मुद्रा के वर्तमान मूल्य के अनुसार उसे कम से कम पेतालीस हजार होना चाहिए था जो अब तक दस हजार रही और अब पचीस हजार हुई है। स्पष्ट है कि निरंतर जमानत राशि कम होती गई और उसी के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों की संख्या बढती गई। मेरे विचार से जमानत राशि चार लाख रूपये होनी चाहिए। गरीब लोगों को चुनाव लडने की सुविधा देना एक बेमतलब का तर्क है गरीब को भोजन और वस्त्र की सुविधा चाहिए नौकरी चाहिए शिक्षा चाहिए न कि चुनाव। यदि जनता किसी गरीब की योग्यता से प्रभावित होकर उसे अपनी सत्ता रूपी अमानत देना चाहती है तो जनता धन संग्रह करके उसे चुनाव भी जितायेगी और उसकी जमानत राशि भी भरेगी। स्पष्ट है कि जमानत राशि चुनाव के बाद वापस हो जाती है जब्त नहीं होती और सिर्फ जब्त उन्हीं की होती है जो मजाक समझ कर चुनाव लड़ते है। मेरे विचार से यदि सत्ता को विकेन्द्रित कर दिया जाये तो चुनाव लडनों वालो की संख्या अपने आप कम हो जायेगी। राजनीति को व्यापार समझने वाले राजनीति से अलग हो जायेंगे और उम्मीदवार जनता के दवाब के बाद भी सत्ता को अमानत समझकर बहुत मुश्किल से चुनाव लडने के लिये तैयार होगें जब तक ऐसा नहीं होता तब तक के लिये जमानत राशि कई गुना अधिक बढा देनी चाहिए।

2. विचार– कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विदेशी मामलों पर संसद की स्थायी समिति के चैयरमैन शशि थरूर ने एक लेख लिखकर स्पष्ट किया है कि जो लोग कहते है कि कांग्रेस सौम्य हिन्दुत्व अपना रही है वे गलत है। कांग्रेस अध्यक्ष का मंदिर–मंदिर जाना अथवा मध्य प्रदेश के हर जिले में गोशाला का खोलने का यह अर्थ नहीं है कि कांग्रेस ने अपना स्टैण्ड बदल लिया है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस जिस हिन्दू धर्म का आदर करती है वह हिन्दू धर्म समावेशी है और आस्था पर कोई फैसला नहीं देता जबकि हिन्दुत्व लोगो का दायरे से बाहर करने की बुनियाद पर बना राजनैतिक सिद्धांत है। राहुल गांधी ने साफ किया है कि हिन्दू एक धर्म है और हिन्दुत्व राजनैतिक सिद्धांत। कांग्रेस पार्टी अन्य धर्मो की तरह हिन्दू धर्म का सम्मान करती है। हिन्दुत्व का नहीं। क्योंकि हिन्दू धर्म सुधार और तरक्की के लिए खुला है जबकि हिन्दुत्व प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी है।

समीक्षा– शशि थरूर जी ने हिन्दू और हिन्दुत्व की जो अलग–अलग परिभाषा की है मैं उससे भिन्न मानता हूॅ। मैं ऐसा मानता हूॅ कि हिन्दुत्व एक जीवन पद्धति है विचारधारा है जिसमें सहजीवन सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुम्बकम् आदि समाहित होते है। हिन्दुत्व आचरण को महत्व देता है चोटी, दाढी या पूजा पद्धति को नहीं। हिन्दुत्व व्यक्ति के व्यवहार से पहचाना जाता है और प्रत्येक हिन्दू में व्यक्तिगत रूप से हिन्दुत्व का गुण अनिवार्य है। जब हिन्दू संगठन के रूप में प्रयुक्त होता है और उसकी पहचान पूजा पद्धति चोटी, जनेउ अथवा किसी विशेष नामकरण और राष्ट्र से जुड जाती है तब वह संप्रदाय के रूप में बन जाता है। मैं ऐसे संप्रदाय का पक्षधर नहीं हूॅ। हिन्दुत्व सहित चोटी और जनेउ को में हिन्दू मानता हूॅ और हिन्दुत्व विहीन चोटी और जनेउ को सांप्रदायिक। शशि थरूर जी को फिर से विचार करना चाहिए। जिस तरह वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी भी अपना स्टैंड बदल रही है वह संघ परिवार और भाजपा की नकल मात्र है। हिन्दुत्व का अर्थ पांच वर्ष पूर्व कांग्रेस पार्टी के लिए अल्पसंख्यक तुष्टीकरण तक सीमित रहा है। अब वह बदलकर बहुसंख्यक तुष्टीकरण की ओर जा रहा है। जबकि हिन्दुत्व गुण प्रधान होता है, संगठन प्रधान नहीं होता और किसी के भी तुष्टीकरण से भी दूर रहता है। संघ परिवार द्वारा सफलतापूर्वक हिन्दू तुष्टीकरण का लाभ उठाते देखकर कांग्रेस पार्टी ने उसकी नकल की है जबकि हिन्दुत्व से न संघ परिवार को कुछ लेना देना है न कांग्रेस पाटी को। शशि थरूर ने गलत तर्क दिए है।

सामयिकी

महाराष्ट्र में एक आदमखोर बाघिन ने क्रमशः तेरह व्यक्तियों की हत्या कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने बाघिन को मरवा दिया। इस बात की जांच होनी चाहिये थी कि महाराष्ट्र सरकार ने इतनी देर क्यों की। जब दो तीन व्यक्ति ही मारे गये तभी उसे क्यों नहीं मारा गया। क्या मरने वालों की संख्या तेरह तक होने की प्रतीक्षा उचित थी।

बाघिन के मरते ही कई निकम्में नेता बाघिन के पक्ष में खडे हो गये। मेनका गांधी तो अपनी नासमझी के लिये प्रसिद्ध हैं ही। राजनैतिक समीकरण के कारण उन्हें मंत्री पद देना सरकारों की मजबूरी बन जाती है अन्यथा वह तो चपरासी की भी योग्यता नहीं रखती। पशु प्रेम के नाम पर कुछ भी आदेश देना उनका स्वभाव है। वरूण गांधी सरीखा योग्य व्यक्तित्व भी उनके आदेशों का बचाव नहीं कर पाता। लेकिन बाघिन के प्रति शिवसेना प्रमुख का भी प्रेम छलक आया है। उनका भी मनुष्यों की जगह पशुओं के प्रति अधिक प्रेम जग जाहिर है। गाया और मनुष्य में से एक की रक्षा मजबूरी हों तो ये शिवसेना प्रमुख गाय की रक्षा करते हैं। यदि गाय और बाघिन के बीच चुनना हो तो ये बाघिन की रक्षा करेंगे गाय की नहीं।

मेरा यह मत है कि हर मामले में न्यायिक जांच की मांग का फैशन घातक है। ऐसी अनावश्यक मांग करने वालों की सामाजिक निन्दा होनी चाहिये। महाराष्ट्र सरकार से पूछा जाना चाहिये कि उसने बाघिन को मारने में इतनी देर क्यों की। साथ ही निकम्में पशु प्रेमियों की भी आलोचना निन्दा होनी चाहिये।

सामयिकी

कल 25 नवम्बर को कश्मीर में सात आतंकवादी मारे गये। एक दिन पूर्व भी छः आतंकवादी मारे गये थे। दो दिनों में तेरह आतंकवादियों का मारा जाना भारत सरकार की बहुत बडी सफलता है।

लगभग डेढ वर्ष पूर्व ऐसा स्पष्ट दिखने लगा था कि कश्मीर अनियंत्रित हो गया है और वहां के हालात काबू से बाहर जा सकते है। कांग्रेस पार्टी तथा अन्य विपक्षी दल ऐसी संभावना भी व्यक्त करने लगे थे और आंशिक रूप से खुश भी हो रहे थे कि कश्मीर का अनियंत्रित होना नरेन्द्र मोदी सरकार को असफल सिद्ध कर देगा। मुझे भी कुछ—कुछ संदेह होने लगा था। कई महिने का कर्फ्यू निरन्तर पत्थर बाजी और आतंकवाद का होता विस्तार खतरे का एक स्पष्ट संकेत था। किन्तु नरेन्द्र मोदी सरकार ने बहुत धैर्य व सूझबूझ से कश्मीर पर नियंत्रण कर लिया। ऐसा लगने लगा है कि अब आतंकवादियों की कमर कमजोर होने लगी है और एक दो वर्षो में ही कमर टूट भी सकती है।

जो विपक्ष एक डेढ वर्ष पहले बढते आतंकवाद के कारण मोदी सरकार को कड़े कदम उठाने की सलाह दे रहा था वहीं विपक्ष अब समस्या को बातचीत से निपटाने की सलाह दे रहा है। विपक्ष की सलाह में आयी नरमी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आतंकवादी परेशान है।

नरेन्द्र मोदी सरकार ने वैसे तो हर मामले में स्पष्ट नीतियॉ अपनायी है चाहे वह आर्थिक मामला हो अथवा राजनैतिक किन्तु आतंकवाद के मुद्दे पर नरेन्द्र मोदी सरकार की नितियॉ विशेष उल्लेखनीय रही है। अटल जी सहित सभी पिछली सरकारें ढुलमुल नीतियों पर चलती रही और उसका परिणाम हुआ आतंकवाद का निरन्तर विस्तार मोदी सरकार ने आतंकवाद के विरूद्ध कठोर रूख अपनाया। उन्होंने कश्मीर के मामले में भी साफ दिशा पकडी तो नक्सलवाद के मामले में भी कमजोरी नहीं दिखाई। मोदी सरकार का राज्य सरकार में बहुमत नहीं हैं। न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक की सर्वोच्च पदों पर पिछली सरकारों के समर्थक अब तक बैठे हुये है और जे.एन.यू संस्कृति को ही भारतीय संस्कृति सिद्ध करने की जोड तोड करते रहते है किन्तु विपरीत परिस्थितियां होते हुये भी जिस तरह नरेन्द्र मोदी सरकार हर मोर्चे पर सफल हो रही है और खास कर आतंकवाद को दो टूक संदेश दे रही है उससे यह आभास होता है कि मोदीपूर्व की राजनैतिक व्यवस्था अब दुबारा कभी नहीं लौटने वाली है और या तो अब मोदी की तुलना में भी कोई अधिक सुलझे व्यक्तित्व को नई व्यवस्था के साथ मैदान में आना होगा। अन्यथा मोदी जीवन प्रर्यन्त भी प्रधानमंत्री बने रह सकते है। अब भारतीय राजनीति को 2014 के पूर्व कि स्थिति में लाना असंभव दिखता है।

सामयिकी

तेंतीस वर्ष पूर्व सिख हत्याकांड से जुड़े एक मुकदमें में न्यायालय ने दो लोगों को दण्डित किया। संतोष की बात है कि न्यायालय ने न्याय किया अन्यथा यही आभाष हो रहा था कि यह मामला इसी तरह लटकता रहेगा। किसी भी सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति को ऐसी छूट नहीं दी जा सकती कि वह कानून अपने हाथ में लेकर किसी अपराधी को भी स्वयं दण्ड देना शुरू कर दे। मारे गये अधिकांश सिख तो पूरी तरह निरपराध थे।

विचारणीय यह भी है कि न्यायालय को अभी प्रारंभिक न्याय देने में ही तेंतीस वर्ष का समय लग गया। अभी तो और भी कई सीढियां पार करने के बाद न्याय कार्यान्वित होगा। न्यायालय को जनहित याचिकाओं पर तो निर्णय करने की बहुत जल्दबाजी रहती है, महिलाओं के साथ मामूली छेडछाड के लिये न्यायालय दो चार महिनों में ही निर्णय देकर अपनी पीठ थपथपाता है किन्तु वास्तवित और जघन्य अपराधों के मामले न्यायालयों में दशकों तक चलते रहते हैं। न्यायालय यही निर्णय नहीं कर पाता कि उसके लिये पहली प्राथमिकता क्या है? न्यायालयों का अधिकांश समय सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये चला जाता है जबकि यह काम उसके लिये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आपराधिक न्याय। भले ही इस मामले में बहुत विलम्ब से फैसला आया किन्तु संतोष की बात है कि न्याय हुआ तो।

सन चौरासी के सिख हत्यांकांड से आम भारतीय को यह सीख लेनी चाहिये कि कभी भी न्याय और दण्ड के लिये कानून अपने हाथ में लेना ठीक नहीं। अल्पकाल के लिये भले ही आपको प्रशंसा मिल जावे किन्तु आपको दीर्घकालिक नुकसान निश्चित है। किन्तु उस घटना से सिख समुदाय को भी कुछ सीखने की आवश्यकता है। सिख नर संहार इन्दिरा गांधी की हत्या के कारण पैदा जनाक्रोश नहीं था बल्कि सिखों के विरूद्ध फैले जनाक्रोश का एक विस्फोट मात्र था। इन्दिरा हत्या तो उस विस्फोटक वातावरण में मात्र चिन्गारी से अधिक कुछ नहीं थी। रोज–रोज सिखों का आंदोलन और अपनी साम्प्रदायिक एकता की शक्ति का प्रदर्शन धीरे–धीरे सम्पूर्ण समाज में अप्रत्यक्ष आक्रोश पैदा कर रही थी। यह आक्रोश किन्हीं व्यक्तियों के विरूद्ध न होकर सिख समुदाय के विरूद्ध था जो या तो ऐसे मुठ्ठी भर उग्रवादी सिखों के प्रति सहानुभूति रखते थे अथवा निर्लिप्त थे। निर्लिप्तता का भाव भी संदेह तो पैदा करता ही है कि आपके समुदाय का व्यक्ति समाज को ब्लैकमेल करे और आप चुप रहें अथवा उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करें। फिर से धीरे–धीरे चौरासी की घटनाओं को भूलकर उसी तरह कुछ लोग गलत दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसी कोशिशे फिर से जनाक्रोश का आधार नहीं बन सकती। क्या दस बीस लोगों को फांसी दे देने मात्र से जनाक्रोश की भावना खत्म हो जायेगी। मेरे विचार से नहीं। दण्ड और फांसी तो अल्पकालिक समाधान हैं किन्तु दीर्घकालिक समाधान के लिये तो सिखों को कट्टरता का मार्ग छोडकर सहजीवन का मार्ग ही अपनाना होगा। गंभीरता से विचार करना होगा कि सिख समुदाय समाज के साथ समसरसता में कहां कमजोर पड रहा है।

मेरी सलाह है कि अपराधियों के त्वरित न्याय और दण्ड की प्रक्रिया तेज की जाये। साथ ही सिख समुदाय भी आगे के लिये ऐसे संकटों के कारणों पर फिर से सोचे जिससे ऐसा इतिहास दुबारा न दुहराया जाये।

उत्तरार्ध

अपनों से अपनी बात

मैंने बचपन से ही सोचा था कि दुनियां को लोकस्वराज्य का संदेश दिया जाना चाहिये और इस संदेश की शुरूआत भारत से हो दो तीन वर्ष पूर्व दिल्ली कार्यालय से योजना बनाकर कार्य शुरू किया गया और उम्मीद की गई कि 2024 तक भारत में लोकस्वराज्य व्यवस्था लागू हो सकती है। आवश्यक था कि इसके लिए संविधान संशोधन के असीम अधिकार तंत्र से निकलकर लोक के पास होने चाहिये। हम लोगों ने दो तीन वर्षो तक योजनाबद्ध तरीके से पूरे प्रयास किये। जो भी भावना प्रधान लोग जुडे उनमें ऐसा आंदोलन खडा करने की क्षमता नहीं मिली और जो भी बुद्धि प्रधान लोग मिले वे इस प्रकार संविधान के अधिकार तंत्र से निकलने की योजना से सहमत नहीं थे क्योंकि कहीं न कहीं उनका उद्देश्य राजनैतिक रहा और हमारा प्रयास राजनीति के अधिकार और हस्तक्षेप को कम करने का था। मुझे महसूस हुआ कि यह कार्य वर्तमान समय सीमा में सम्भव नहीं है इसलिए मैंने इस कार्य का लक्ष्य छोडकर जनजागरण का कार्य शुरू करना उचित समझा।

वर्तमान समय में पूरी दुनियां में भौतिक उन्नति तो बहुत तेजी से हो रही है और नैतिक पतन भी उतनी तेज गति से हो रहा है। शिक्षा बढ रही है तो ज्ञान घट रहा है। वर्ग विद्वेष बढ रहा है और सहजीवन कमजोर हो रहा है। हिंसा पर विश्वास बढ रहा है तो विपरीत विचारों के लोग बैठकर समाधान खोजे यह प्रक्रिया घट रही है। चालाकी हर क्षेत्र में सफल हो रही है और शराफत ठगी जा रही है। संग्रह की प्रवृत्ति बढ रही है और त्याग ठगा सा महसूस कर रहा है। मेरे विचार में इन सबका एक ही कारण है कि व्यक्ति या तो शराफत की दिशा में बढ रहा है या चालाकी दिशा में। समझदारी घट रही है।

और समझदारी एवं ज्ञान के बढे बिना समाज की समस्याएं नहीं सुलझेगी। अब मेरी उम्र पांच, दस वर्षो की ही बची है और मुझे अपने इस अल्पकाल का सदउपयोग समझदारी और ज्ञान के विस्तार में करना चाहिये इस आधार पर मैंने ऋषिकेश को केन्द्र बनाकर दुनियांभर को यह संदेश देने की शुरूआत की है कि समझदारी और ज्ञान का घटना सबसे बढी समस्याएं है उसके विस्तार के लिए प्रयत्न ही सर्वश्रेष्ठ समाधान है चूंकि पिछले साठ वर्षो से में रामानुजगंज शहर में ज्ञान यज्ञ के माध्यम से यह कार्य सफलता पूर्वक कर चूका हूँ। इसलिए अब मैंने अपना सारा समय ज्ञान यज्ञ के माध्यम से समझदारी और ज्ञान के विस्तार में लगाना शुरू किया है।

इस कार्य के लिए भावना प्रधान धार्मिक क्रिया और बुद्धि प्रधान विचार मंथन को एक साथ जोडा जाता है। यह प्रयोग मैंने बचपन में आर्य समाज से सीखा था और आज भी उसे उपयोगी मानता हूँ। ऋषिकेश में अपने निवास पर प्रति सप्ताह धार्मिक क्रिया के रूप में यज्ञ रखा जाता है तथा साथ—साथ किसी एक पूर्व निश्चित विषय पर चर्चा होती है। देश भर में अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार का कार्य प्रारम्भ किया गया है और आगे भी तेज गति से विस्तार देने की योजना है। विस्तार के लिये पूरे देशभर से लाखों लोगो को जुडने के लिये मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सहमत लोगो से हम एक ''संकल्प पत्र'' भी ले रहे है जिसका प्रारूप इस प्रकार हैः—

''ज्ञान यज्ञ परिवार''
सक्रियता संकल्प पत्र

क्रमांकः............................

मैं सहमत हूँ कि सभी समस्याओं के समाधान के लिये प्रत्येक व्यक्ति में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ''समझदारी और ज्ञान'' का विकास होना चाहिये। ''ज्ञान यज्ञ'' के माध्यम से हम इस कार्य को प्रभावी एवं सुगमता पूर्वक कर सकते है। मैं इस कार्य में यथा संभव सहयोग करूँगा।

और कम से कम वर्ष में एक बार ज्ञान यज्ञ में शामिल होने का प्रयास करूँगा।

1. नामः...पिता/पति का नामः..
2. पताः..

   ....

   जिलाः.....................................प्रदेशः..............................पिन कोडः......................जन्म वर्षः...................
3. मोबाइल नंबरः..व्हाट्सअप नंबरः..............................
4. ईमेलः...वेबसाइट..
5. व्यवसायः..
6. सामाजिक रूचिः..
7. राजनैतिक रूचिः...
8. धार्मिक रूचिः...
9. शैक्षिक योग्यताः...
10. वर्तमान में सामाजिक/राजनैतिक दायित्वः..

11. ज्ञान तत्व मिलता है कि नहीं:...

दिनॉकः........................ हस्ताक्षर

आप इस प्रारूप को भरकर व्हाट्सअप, ईमेल अथवा डाक से भी हमारे पते पर भेज सकते है। आप यदि अपना मोबाइल नंबर इस उद्देश्य के लिये भेज देगे तो हमारा कार्यालय भी आपसे चर्चा कर सकेगा। संकल्प करने वाले साथियों से हम अपेक्षा करते है कि वे कम से कम वर्ष में एक बार कहीं ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलत हो वैसे तो आप जितने अधिक बार ज्ञान यज्ञ में शामिल होगे उतना ही अधिक आपके ज्ञान और समझदारी का विकास होगा। फिर भी हम वर्ष में एक बार की औपचारिक सहमति संकल्प पत्र के माध्यम से उचित मानते है। यदि आप कुछ और सक्रिय होना चाहते है तो आप स्थानीय स्तर पर कम से कम वर्ष में एक बार ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर सकते है यदि आप और अधिक सक्रिय होना चाहते है तो आप जिले स्तर पर लोक प्रदेश स्तर पर अथवा और बड़े स्तर पर भी आयोजन कर सकते है। आपकी सक्रियता विश्व ज्ञान यज्ञ परिवार के लिये सम्बल का काम करेगी, समाज की अनेक समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगी और आपके स्वयं के भी समझदारी और ज्ञान के विकास में सहायक होगी। इस संबंध में आप विस्तृत जानकारी के लिये फोन भी कर सकते है। आगामी दो और तीन फरवरी दो हजार उन्नीस को दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन स्थान सामुदायिक केन्द्र सैक्टर 55 नोएडा, उत्त्तर प्रदेश, पार्क प्लाजा होटल के पीछे में होगा। आपसे ज्ञान यज्ञ परिवार के संबंध में सामूहिक चर्चा आयोजित है साथ ही अगामी 31 अगस्त से 14 सितम्बर दो हजार उन्नीस में पंद्रह दिनों का एक ''ज्ञानोत्सव–यज्ञ'' भी आयोजित है। उसकी भी विस्तृत रूप रेखा आपको पहले भी भेजी जा चुकी है और आपकी सूचना पर फिर से भेज सकते है।

मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूॅ कि आप इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये ज्ञान यज्ञ परिवार से संपर्क करें जुडे और एक दूसरे की मदद करे।

बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान
104/19 देहरादून रोड,
ऋषिकेश, उत्तराखण्ड 249201
मोबाइल नंबर 8826290511

बजरंग मुनि
मोबाइल नंबर 9617079344